>

Title: Regarding participation of Members of Parliament in implementation of development schemes in LWE affected districts - Laid

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद (बिहार) के दोनों जिले औरंगाबाद और गया अकांक्षावान जिलों की सूची में है । ये दोनों जिले वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) से बुरी तरह प्रभावित हैं । दोनों ही जिले देश के 34 एलडब्ल्यूई जिलों की सूची में है । उग्रवाद पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार की तरफ से विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) योजना कई वर्षों से चलाई जाती है । इस योजना के तहत योजनाओं के चयन के लिए केवल अधिकारियों की एक समिति है जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी और सदस्य सब चिन्हित जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं जिला वन पदाधिकारी होते है । जनप्रतिनिधि का सुझाव या उनकी अनुशंसा का कोई महत्व नहीं होता । इसलिए कि यह समिति निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है । जबकि सांसदों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की बेहतर जानकारी होती है ।

मेरी सरकार से मांग है कि क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए समिति में सांसदों की भागीदारी तथा उनकी अनुशंसा पर योजनाओं का चयन सुनिश्चित किया जाये । उग्रवाद की समस्या से प्रभावित जिलों में नक्सलवाद के खात्मे और क्षेत्रीय विकास के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण की योजनाओं (एलडब्ल्यूई) का कार्य भी शिथिल है, जिसे तेज गति से चलाने की आवश्यकता है ।